जिला–पटना
न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, बाढ़
उपस्थिति – श्री राजकुमार चौधरी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, बाढ़
बाढ़, 18 वीं मार्च 2026 ई0
सत्रवाद संख्या 606/2012

डॉक्टर सियाराम सिंह (सूचक) ————————————————————————अभियोजन

बनाम्

1. पिंकु कुमार	पिता :– श्री योगी साव		उम्र लगभग 40 वर्ष
2. चिन्टु कुमार	पिता :– स्व0 तारकेश्वर चौधरी उर्फ मंजु चौधरी		उम्र लगभग 42 वर्ष
3. बच्चा कहार	पिता :– श्री गोपाल राम		उम्र लगभग 39 वर्ष
4. मो0 बादशाह	पिता :– मो0 अनवर इमाम		उम्र लगभग 35 वर्ष
5. सोनु कुमार उर्फ सोनु साह	पिता :– स्व0 जय राज प्रसाद		उम्र लगभग 38 वर्ष
6. मो0 रमन उर्फ असलम	पिता :– मो0 झंडुल मियां		उम्र लगभग 35 वर्ष
7. गौरव कुमार टंडन उर्फ लेखू	पिताः– गल्लु प्रसाद उर्फ रंजीत		उम्र लगभग 32 वर्ष

निवासी सभी ग्राम :– चोन्दी, थाना– बाढ़, जिला–पटना ————————————अभियुक्तगण।

आरोप अंतर्गत धारा :– 307/149, 379/149, 353, 387, 452, 504 भा0द0वि0

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री धीरेन्द्र कुमार सिन्हा
श्री विकास कुमार
श्री प्रणय कुमार

बिहार सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक :– मो0 सलीम

::::::निर्णय::::::

1. उपरोक्त अभियुक्तगण 1. पिंकु कुमार, 2. चिन्टु कुमार, 3. बच्चा कहार, 4. मो0 बादशाह, 5. सोनु कुमार उर्फ सोनु साह, 6. मो0 रमन उर्फ असलम एवं 7. गौरव कुमार टंडन उर्फ लेखू के विरूद्ध धारा 307/149, 379/149, 353, 387, 452, 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठित कर आरोप का सारांश सुनाया गया, जिसे वे सुनकर घटना से इंकार किये और विचारण का दावा किये।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक डॉक्टर सियाराम सिंह है, जिन्होंने अपना फर्दबयान थानाध्यक्ष बाढ़ को दिया है, जिसमें इनका कथन है कि दिनांक 17.09.2010 को समय 06 बजे शाम से सुबह 08 बजे तक ड्यूटी पर थे तथा इनके साथ स्वास्थ्यकर्त्ता रविन्द्र सिंह एवं उपेन्द्र प्रसाद ड्यूटी में थे। करीब 20:30 बजे पिंकु साह पिता योगी साह इनके पास आये, जो काफी नशे में था और वह इनके साथ बदतमीजी से बात करने लगा, जब

इनके द्वारा मना किया गया तो उनलोगों के द्वारा गाली–गलौज एवं धमकी देते हुये बोला कि मैं अभी तुरन्त बतलाता हूँ और बाहर निकल गया। करीब 05 मिनट के बाद ही 10–12 लड़को के साथ चिकित्सक कक्ष में आया। सभी अपने–अपने हाथ में रॉड, छुरा एवं फट्ठा लिये हुये थे। आते ही गाली–गलौज एवं धमकी देते हुये चिकित्सक कक्ष में रखा सरकारी सामानों को तोड़–फोड़ करने लगे। टेबुल पर रखा वी.पी. मशीन को पटक कर तोड़ दिया। इनके द्वारा मना करने पर बच्चा कहार, पिंकु, मो0 मरन, लेखु, सोनू साह, अपने–अपने हाथ में लिये लोहे के रॉड से इनके उपर जान लेवा हमला कर दिये, जिससे इनका सर फट गया, साथ ही इनके बदन पर कई जगह चोट भी आयी। हल्ला पर ड्यिूटी में गृह रक्षक के साथ–साथ स्वास्थ्य कर्मी उपेन्द्र कुमार, रविन्द्र सिंह तथा सुदेश कुमार एवं नवनीत आ गये। इसी बीच चिन्टु कुमार अपने साथियों के सहयोग से शरीर पर मारते रहे तथा इनके गले से सोने का चेन ले लिया। इतने में अगल–बगल के बहुत से लोग आ गये। भीड़ ने एक मो0 मरन को पकड़ लिया तथा शेष अपराधी भागने में सफल हो गये। स्वास्थ्य कर्मी रविन्द्र सिंह द्वारा इन्हें बताया गया कि कुछ लड़का जो सरकारी सामान को तोड़–फोड़ कर रहे थे तथा कुछ अपने हाथ में पिस्तौल भी लिये हुये था, उसका नाम ये नहीं जानते है।

3. सूचक के फर्दबयान के आधार पर बाढ़ थाना काण्ड संख्या– 252/2010, दिनांक 17.09.2010 को धारा 147, 148, 149, 323, 325, 379, 353, 387, 307, 452, 427, 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत कुल 06 नामित अभियुक्तगण एवं अन्य अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान के बाद अनुसंधान पूर्ण करते हुये आरोप पत्र संख्या 85/2011 दिनांक 08.04.2011, अभियुक्त 1. पिंकु साह, 2. बच्चा कहार, 3. मो0 मरण उर्फ असलम, 4. चिन्टु कुमार, 5. सोनू महतो, 6. लेख कुमार, एवं 7. मो0 बादशाह के विरूद्ध घटना को सत्य पाकर समर्पित किया गया एवं अनुसंधान बंद किया गया तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़ के द्वारा इसी धारा में अभियुक्तगण के विरुद्ध संज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्तगण के वाद को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़ के द्वारा दौरा सुपुर्द कर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां भेजा गया तथा श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा इस वाद को दिनांक 04.11.2019 को विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ, जिसका विचारण किया गया।

5. अभियोजन की ओर से अपने इस वाद के समर्थन में कुल 02 साक्षियों जिसमें साक्षी संख्या 01 नवनीत कुमार सिंह एवं साक्षी संख्या 02 सूचक डॉक्टर सियाराम सिंह को प्रस्तुत किया गया।

6. अभियुक्तगण का धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान लिया गया है, जिसमें वे घटना से इंकार किये और अपने को निर्दोष बतलाये तथा विचारण का दावा किये।

7. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह के परे सिद्ध करने में सफल हुए हैं अथवा नहीं?

मंतव्य

8. अभियोजन की ओर से इस वाद में कुल 02 साक्षियों जिसमें साक्षी संख्या 01 नवनीत कुमार सिंह एवं साक्षी संख्या 02 सूचक डॉक्टर सियाराम सिंह का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष करवाया है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श अंकित करवाया गया है :–

प्रदर्श – 1 फर्दबयान पर सूचक डॉक्टर सियाराम सिंह का हस्ताक्षर।

9. बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों में साक्षी संख्या 02 डॉक्टर सियाराम सिंह हैं, जो इस वाद के सूचक है, जो अपने बयान में बताये है कि घटना बाढ़ अस्पताल में करीब साढ़े बारह साल पहले घटी थी। एक व्यक्ति मरीज को दिखलाने आया था और उसी में ओ.पी.डी. पुर्जा कटवाने के लिये जिद् करने लगा और जो पुर्जा काटता था, उससे लड़ने एवं झगड़ने लगा तब सूचक बीच बचाव हेतु गये तो इनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। साक्षी का कथन है कि घटना पुराना होने के कारण कौन–कौन लोग थे, ये नहीं बता सकते है। साक्षी कहा है कि गोपाल सिंह का लड़का लोग थे, बाद में संधि हो गया और वे लोग माफी मांगे थे। पुलिस के समक्ष इन्होंने बयान देने की बात बतलाया है। साक्षी के पहचान पर फर्दबयान पर इनके हस्ताक्षर को प्रदर्श 1 अंकित किया गया। घटना का पूर्ण समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं साक्षी को पुलिस के समक्ष दिये गये बयान की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसे सुनकर इंकार किये है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि फर्दबयान में क्या लिखा गया, इन्हें पढ़कर नहीं सुनाया गया था। इन्हें अभियुक्तगण का नाम एवं पता की जानकारी नहीं थी, किसी के द्वारा बताने पर नाम दिया गया था। अभियुक्तगण सरकारी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं किये थे। इन्हें जो चोट लगा, किस अभियुक्त के द्वारा कारित किया गया, वह नहीं बता सकते है। ये स्वेच्छा से बयान देने की बात बतलाये है। साक्षी का कथन है कि अभियुक्तगण से इन्हें संधि हो गया है और इन्हें अभियुक्तों से कोई शिकायत नहीं है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 01 नवनीत कुमार सिंह है। ये साक्षी अपने साक्ष्य में कहे है कि घटना के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष बयान देने की बात से भी इंकार किये है। अभियोजन के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं साक्षी को पुलिस के समक्ष दिये गये बयान की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसे सुनकर इंकार किये है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि दिनांक 17.09.2010 को बाढ़ अस्पताल नहीं गये थे। ये कोई बयान नहीं दिये थे तथा घटना के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने स्वेच्छा से गवाही देने की बात बतलाया है।

12. इस तरह उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन के बाद मैं पाता हूँ कि अभियोजन के द्वारा अपने वाद के समर्थन में कुल 02 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें साक्षी संख्या 02 सूचक डॉक्टर सियाराम सिंह है, जो इस वाद के मुख्य जख्मी है, जिनके फर्दबयान के आधार पर यह मुकदमा कायम हुआ है, साक्षी के पहचान पर फर्दबयान पर इनके हस्ताक्षर को प्रदर्श 1 अंकित किया गया है, साक्षी अपने बयान में कहा है कि एक व्यक्ति मरीज को दिखलाने आया था और उसी में ओ.पी.डी. पुर्जा कटवाने के लिये जिद् करने लगा और जो पुर्जा काटता था, उससे लड़ने एवं झगड़ने लगा तब सूचक बीच बचाव हेतु गये तो इनके साथ दुरव्यवहार करने लगा, साक्षी फर्दबयान से पूर्णतः अलग बयान दिया है। साक्षी ने अपने बयान में किसी मारपीट करने वाले अभियुक्तगण का नाम भी नहीं बतलाये है। साक्षी कहा है कि अभियुक्तगण से संधि हो गया है और अभियुक्तों से इन्हें कोई शिकायत नहीं है। अभियोजन कथन का समर्थन नहीं करने के कारण सूचक को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी संख्या 02 नवनीत कुमार सिंह है। साक्षी अभियोजन कथन का समर्थन नहीं करने के कारण

पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन इस वाद के अन्य साक्षियों, अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सा पदाधिकारी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही जख्म पत्र को साबित किया गया है।

इस तरह उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अभियोजन ने जो आरोप अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया है उसे संदेह के परे साबित करने में असफल रहे हैं, जिसके कारण अभियुक्तगण को संदेह का लाभ मिल गया है तथा वे निर्दोष साबित होते हैं।

::::::आदेश:::::::

13. तदनुसार इस वाद के अभियुक्त 1. पिंकु कुमार, 2. चिन्टु कुमार, 3. बच्चा कहार, 4. मो0 बादशाह, 5. सोनु कुमार उर्फ सोनु साह, 6. मो0 रमन उर्फ असलम एवं 7. गौरव कुमार टंडन उर्फ लेखु को धारा 307/149, 379/149, 353, 387, 452, 504 भा0द0वि0 के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त करता हूँ तथा उनके सभी जमानतदारों को बंधपत्र के समस्त दायित्वों से उन्मुक्त करता हूँ।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
बाढ़

14. यह निर्णय खुले न्यायालय में उद्घोषित, संशोधित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
बाढ़